

भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 695

दिनांक 07.02.2024 को उत्तर देने के लिए

टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उत्पादन और खपत

†695. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में टाइटेनियम डाइऑक्साइड के उत्पादन और खपत से संबंधित कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दस वर्षों के दौरान देश में टाइटेनियम डाइऑक्साइड के उत्पादन और खपत का वर्ष और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार टाइटेनियम डाइऑक्साइड के आयात की अनुमति दे रही है;

(घ) यदि हां, तो पिछले दस वर्षों के दौरान देश में हुए आयात का वर्ष और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास पिछले दस वर्षों के दौरान टाइटेनियम डाइऑक्साइड के आयात से उत्पन्न राजस्व, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कीमत के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को टाइटेनियम डाइऑक्साइड के आयात पर प्रतिबंध लगाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट में 108 हजार टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ भारत विश्व में 10वें स्थान पर है। इल्मेनाइट और रूटाइल खनिज जिनसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड निकाला जाता है, के उत्पादन के लिए समेकित राज्य-वार आँकड़े उपलब्ध हैं। इनका ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) से (च): एचएस कोड 28230010 के तहत टाइटेनियम डाइऑक्साइड की आयात नीति 'निःशुल्क' है। पिछले दस वर्षों के दौरान टाइटेनियम डाइऑक्साइड के आयात, आयात के माध्यम से सृजित राजस्व और मूल्यों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(छ) और (ज): टाइटेनियम डाइऑक्साइड के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

'टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उत्पादन और खपत' के संबंध में दिनांक 07.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 695 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

पिछले 10 वर्षों के दौरान इल्मेनाइट का उपलब्ध राज्य-वार उत्पादन ('000 टन में)

वर्ष	केरल	ओडिशा	तमिलनाडु	संपूर्ण भारत
2012-13	68.6	184.6	485.4	738.5
2013-14	95.1	146.8	480.1	722.0
2014-15	93.1	191.7	358.4	643.1
2015-16	88.3	183.4	250.1	521.8
2016-17	113.3	183.0	298.6	595.0
2017-18	100.0	184.7	-	284.7
2018-19	74.8	191.5	25.9	292.2
2019-20	75.6	241.0	33.9	350.5
2020-21	88.1	230.0	33.2	351.4
2021-22	110.7	234.1	45.9	390.6

स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो

पिछले 10 वर्षों के दौरान रूटाइल का उपलब्ध राज्य-वार उत्पादन ('000 टन में)

वर्ष	केरल	ओडिशा	तमिलनाडु	संपूर्ण भारत
2012-13	3.0	7.2	6.3	16.5
2013-14	3.5	5.8	4.2	13.5
2014-15	3.6	7.2	4.7	15.6
2015-16	3.8	7.4	5.5	16.7
2016-17	4.7	7.4	2.8	14.9
2017-18	4	7.8	-	11.8
2018-19	8.4	3.3	0.9	12.6
2019-20	8.7	3.2	1.2	13.1
2020-21	2.2	9.4	1.2	12.8
2021-22	2.8	8.9	1.6	13.3

स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो

'टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उत्पादन और खपत' के संबंध में दिनांक 07.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 695 के भाग (ग) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II पिछले 10 वर्षों में भारत के टाइटेनियम डाइऑक्साइड का आयात (एचएस कोड: 28230010)

वर्ष	आयात मात्रा (हजार टन) ¹	आयात मूल्य (करोड़ रुपये)	प्रति टन आयात मूल्य ² ('000 रुपये)	आयात से सृजित राजस्व (करोड़ रुपये)	शीर्ष 5 आयात स्रोत
2014-15	17.6	282.4	160.7	17	कोरिया, चीन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान
2015-16	16.4	257.1	156.6	18	चीन, जर्मनी, कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका
2016-17	13.9	229.4	165.0	17	चीन, जर्मनी, कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका
2017-18	13.7	247.7	180.8	43	चीन, जर्मनी, कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका
2018-19	14.5	286.9	197.2	51	चीन, कोरिया, बेल्जियम, जापान, नीदरलैंड
2019-20	16.4	308.3	187.8	55	कोरिया, चीन, नीदरलैंड, जापान, जर्मनी
2020-21	13.4	251.1	187.5	46	कोरिया, चीन, जर्मनी, जापान, बेल्जियम
2021-22	15.1	362.3	239.4	72	चीन, कोरिया, नीदरलैंड, जापान, जर्मनी
2022-23	18.5	539.2	291.4	110	चीन, कोरिया, जर्मनी, नीदरलैंड, जापान
2023-24 (अप्रैल - नवंबर)	11.7	332.0	283.0	75 ³	कोरिया, चीन, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड

स्रोत: वाणिज्य विभाग (आयात आंकड़ों के लिए); राजस्व विभाग (सृजित राजस्व के लिए)

1: टीएचटी - हजार टन।

2: प्रति टन आयात मूल्य उस औसत दर को इंगित करता है जिस पर वर्ष के दौरान टाइटेनियम डाइऑक्साइड का आयात किया गया था, और 'निःशुल्क' आयात नीति होने के कारण, इसमें वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय मूल्य निर्धारण के अनुमानित माप का प्रावधान है। उपर्युक्त अवधि के दौरान 10% आयात शुल्क की दर से घरेलू मूल्य अनुमान में प्रति टन आयात मूल्य और घरेलू उद्योग सुरक्षा के स्तर को ध्यान में रखना होगा।

3: अप्रैल-दिसंबर अवधि से संबंधित है।